

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/8496-510

दिनांक: 28-2-14

आदेश रांख्या: ३९२ / 2013-14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम-1963 के नियम 30 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाकारों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण आवश्यक अरथाई आधार पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के पद पर चयन करते हुए इनके चयन के नतीजों को बन्द लिफाफे में रखा गया था। अब इनके विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही में आरोप मुक्त कर देने/विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने के कारण डीपीसी अनुशंसा के अनुसार बन्द लिफाफे में रखे गये सहायक लेखाधिकारी के पद पर चयन के नतीजे को खोलकर, उक्त विभागीय पदोन्नति समिति की रिफारिश के आधार पर इन्हें कार्यभार सम्भालने की दिनांक से 6 माह अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तिथि या विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, पूर्णतः आवश्यक अरथाई आधार पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के पद पर वेतन श्रंखला (पी.वी.2) 9300-34800 ग्रेड-पे (रूपये 4800/-) में एतद् द्वारा पदोन्नति किया जाता है:-

क्र.सं.	लिंक नं०	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	प्रवर्ष	जन्म तिथि	विशेष विवरण
1.	1663	श्री गोपाल कृष्ण गोवी	अजा	29.11.65	
2.	6132	श्री धनकूल मीणा	अजजा	01.04.65	
3.	8522	श्री कमल किशोर गौड़	-	13.05.63	
4.	2761	श्री सुरेश चन्द गुप्ता	-	01.07.61	
5.	2403	श्री रूपसिंह मीणा	अजजा	05.07.69	

उपर्युक्त अधिकारी पदोन्नति के फलरचरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अरथाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। यह पदोन्नति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन की जाती है:-

1. यह पदोन्नति पूर्णतया अरथाई/ अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, विना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त किये, दी जाती है।
2. जिस पद से पदोन्नति दी गई है उस पद पर कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
3. इस आवश्यक अरथाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
4. इस प्रकार की पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता सम्बन्धी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5. आवश्यक अरथाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
6. आवश्यक अरथाई पदोन्नतियाँ केवल नियमित पदोन्नतियों से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अरितत्व खतः ही समाप्त हो जायेगा।
7. इन तदर्थ पदोन्नतियों से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता है।
8. यदि कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक, आपराधिक अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि के प्रकरण में दण्ड अधिनिर्णित हो जाए अथवा न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय पात्रता, दक्षता एवं योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी आधार पर शासन की दृष्टि में माना गया हो और उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने अथवा विभागीय जाँच यथारिति करने का निर्णय साक्षम नियुक्त प्राधिकारी के आदेश प्रसारित करने की तिथि से समाप्त समझी जावेगी / हो जावेगी।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2013 जयपुर, दिनांक 18.09.2013 एवं प.2(15)वित्त/राजस्व/10 दिनांक 30.09.2013 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/ 8496-510

दिनांक: 28-2-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. रांयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....

3. श्री लेखाकार, कार्यालय

4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
5. राहायक निदेशक, अलेसे द्वितीय।
6. निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)